क्रमांक – 11

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग–दो

सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2025 (फाल्गुन 5, 1946)

कार्यमंत्रणा समिति का पंचम प्रतिवेदन

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2025 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिये समय का निर्धारण करने की सिफारिश को सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2025 को सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई :–

1. **वित्तीय कार्य –**

(1) वित्तीय वर्ष 2024–25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण, मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2025 को होगा। इस पर चर्चा हेतु **3 घंटे का समय निर्धारित किया गया।**

(2) वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक का उपस्थापन सोमवार, दिनांक 3 मार्च, 2025 को मध्यान्ह् 12.30 बजे किया जायेगा तथा आय व्ययक पर सामान्य चर्चा, मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2025 एवं बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 2025 को होगी।

(3) गुरूवार, दिनांक 6 मार्च, 2025 से बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 तक वित्तीय वर्ष 2025–2026 के आय–व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तत्पश्चात विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन किया जायेगा।

(4) गुरूवार, दिनांक 20 मार्च, 2025 को वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक की अनुदान की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा।

(5) **वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया, जो इस प्रकार है :–**

(1)	श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री	– 3 घंटे
(2)	श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री	– 2 घंटे 30 मिनट
(3)	श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री	– 2 घंटे 30 मिनट
(4)	श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री	– 2 घंटे
(5)	श्री राम विचार नेताम, कृषि मंत्री	– 2 घंटे

(6) श्री दयाल दास बघेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री – 2 घंटे
(7) श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री – 2 घंटे
(8) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री – 2 घंटे
(9) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री – 2 घंटे
(10) श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री – 2 घंटे
(11) श्री टंक राम वर्मा, राजस्व मंत्री – 2 घंटे

2. विधि विषयक कार्य :–

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि गुरूवार, दिनांक 6 मार्च, 2025 से गुरूवार, दिनांक 20 मार्च, 2025 तक भोजन अवकाश नहीं होगा।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.